

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर**  
 (जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)  
 टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/ATR\_Timelines( )/17/2048 दिनांक : 08/09/17

**:-परिपत्र:-**

राज्य के नगरीय निकायों द्वारा किये जाने वाले आमजन से जुड़े विभिन्न कार्यों के समयबद्ध निस्तारण एवं राज्य में Ease of Doing Business के तहत Business Reforms Action Plan, 2017 के बिन्दुओं की पालना हेतु अधिकतम समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

S.No.	Activity	Timelines (Maximum)
1.	Conversion of Land use (Agriculture to Non-Agriculture in Urban Area) under Raj. Land Revenue Rules, 2012	60 Days
2.	Change of Land use under Rajasthan Urban Areas	60 Days
3.	<b>Approval of Building Plan as per prevailing Byelaws</b>	
	Plot Area Upto 500 Sq. Mtr. (Residential Use)	15 Days
	Plot Area Upto 225 Sq. Mtr. (Commercial Use)	
	Plot Area Upto 500 Sq. Mtr. (Institutional Use)	
	More than above limits upto Plot Area 1000 Sq. Mtr.	21 Days
	More than 1000 Sq. Mtr.	30 Days
4.	Layout Plan Approval as per Rajasthan Township Policy, 2010	45 Days
5.	Allotment of Land for various purposes in Urban Areas under "Land Allotment Policy, 2015"	45 Days
6.	Approval of Sub-division and Reconstitution of Plots under "The Rajasthan Urban Areas (Sub-Divisions Reconstitutions and Improvement of Plots) Rules, 2010	30 Days
7.	Issuance of Lease Deed/Patta	15 Days
8.	Issuance of Lease Money deposit & Lease Mukti Certificate	07 Days
9.	Issuance of Name Transfer Letter	07 Days
10.	Issuance of Completion Certificate	30 Days
11.	NOC from Fire Department	07 Days
12.	Issuance of Trade License under Municipal Act.	07 Act
13.	UD Tax Deposit	03 Days
14.	Approval of Sewer Connection	03 Days

समस्त नगरीय निकायों को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है, कि प्रकरणों का उक्त समय सीमा में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।  
 उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जावें।

  
 (पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, Co-ordination, Planning Department.
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
6. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/ भरतपुर।
7. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/ अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
8. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
10. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(मुकेश कुमार मीना)  
अतिरिक्त निदेशक